न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर, (आर0ए0एस0)
रास्ता प्रा0पत्र सं0 : 24 सन 2019
अनवान :–

1. बलकरणसिह पुत्र बक्शीसिह जाति जाटसिख निवासी 9 आरपीएम तहसील नोहर

सायल

बनाम

1. गुरमेल पुत्र बक्शीसिह जाति जटसिख निवासी चक 9 आरपीएम तहसील नोहर
2. बलवीरसिह पुत्र बक्शीसिह जाति जटसिख निवासी चक 9 आरपीएम तहसील नोहर
3. हरबंससिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी कोठे बुधसिहवाला तहसील भटिण्डा
4. फोजासिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी कोठे बुधसिहवाला तहसील भटिण्डा
5. मेजरसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी कोठे बुधसिहवाला तहसील भटिण्डा
6. सोहनसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी कोठे बुधसिहवाला तहसील भटिण्डा
7. रपजिन्द सिह पुत्र जसकरण सिह जाति जटसिख निवासी कोठे बुधसिहवाला तहसील भटिण्डा जिला भटिण्डा
8. सुखजिन्दसिह पुत्र जसकरण सिह जाति जटसिख निवासी कोठे बुधसिहवाला तहसील भटिण्डा जिला भटिण्डा
9. सुखवन्त कोर पत्नी जसकरणसिह जाति जटसिख निवासी कोठे बुधसिहवाला तहसील भटिण्डा जिला भटिण्डा
10. दर्शनसिह पुत्र श्रवणसिह जाति जटसिख निवासी चक 9 आरपीएम तहसील नोहर
11. बलवीरसिह पुत्र श्रवणसिह जाति जटसिख निवासी चक 9 आरपीएम तहसील नोहर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

गैर सायलान

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) बाबत स्वीकृत करवाने बाबत।

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अभिभाषक, सालय

निर्णय दिनांक :– 16/03/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायलान प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 इस आशय का पेश किया कि सायलान की मुश्तरका खाते की भूमि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 103/97 की कुल 11.6380हैक में से प0न0 413/412(237) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 ,21 की 100 हिस्सा भूमि पर सायल काबिज है।

रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 103/97 की कुल 11.6380हैक में से 300 हिस्सा पर गैरसायल न0 1, 2 व 256 हिस्सा पर गैरसायल न0 3 ता 6 तथा 64 हिस्सा पर गैरसायल न0 7 ता 9 एव 100 हिस्सा पर गैरसायल न0 10 ,11 काबिज है।

सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृत शुद्वा रास्ता से होते हुए गैरसायल के खेत प0न0 313/412(237) के किला न0 1 ,3 ,4 ,5 में पूर्व से पश्चिम चलकर अपने खेत किला न0 1 में प्रवेश करते है यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधा जनक है।

सायल को उक्त रास्ते के अलााव अन्य कोई रास्ता अपने खेत में जाने के लिये नही है आपसी सहमति से उक्त रास्ता से आवागमन करते है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे सायल को नुकसान होता है सायल उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 313/412(237) के किला न0 2 उत्तर मिन की 0.013हैक , 3 उत्तर मिन की 0.013हैक 4 उत्तर मीन की 0.013हैक व 5 उत्तर मीन की 0.013हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल न0 1 ता 11 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गैरसायल की भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

पेराकार राज ने जबाब पेश किया की सायलान को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई रास्ता दिया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल को अपने खातेदार भूमि में जाने के लिये कोई भी स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है सायल को अपनी खातेदारी भूमि काश्त करने हेतु लिये रास्ते की आवश्यकता है सायल गेरसायल की भूमि में से होकर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करते है किन्तु यह रास्ता स्वीकृत नही है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है सायल के कथनों को गैरसायलान 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया सायल एवं गैरसायलान की आपसी सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

हमने उभपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सायल एंव गैरसायल न0 1 ता 11 दोनो खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं एक दुसर के चिपते हुए सयुक्त खातेदार काश्तकार है

सायल अपनी खातेदारी भूमि जाने के लिये गैरसायल की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 313/412(237) के किला न0 2 उत्तर मिन की 0.013हैक , 3 उत्तर मिन की 0.013हैक 4 उत्तर मीन की 0.013हैक व 5 उत्तर मीन की 0.013हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सायल के कथनों को गैरसयलान संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित भी है

इस प्रकार सायलान के प्रार्थना पत्र को गैरसायलान 1 ता 11 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज के द्वारा रास्ता स्वीकृत करने की अभिशांष के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 313/412(237) के किला न0 2 उत्तर मिन की 0.013हैक , 3 उत्तर मिन की 0.013हैक 4 उत्तर मीन की 0.013हैक व 5 उत्तर मीन की 0.013हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनांक 16/3/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर